

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए
प्रकरण संख्या- 291/2025

अंकुर कुमार पुत्र स्व. श्री रमेश कुमार जाति जाट नि. लीलावाली तह.संगरिया।

- वादी

बनाम्

1. संतो देवी पत्नी स्व. श्री ओमप्रकाश जाति जाट नि.लीलावाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. शिवानी कडवा पुत्री स्व. श्री रमेश कुमार पत्नी श्री विक्रम गोदारा जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद मिठनपुर तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरि.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते फिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादी मिन जाभिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है संगरिया तहसील के चक 2 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 143/7 जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 एव चक एमएमके खाता संख्या 251/21 जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 में मृतक रमेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 को निम्नानुसार भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कर इनका खाता निम्नानुसार अलग कायम कर इसी अनुसार हिस्सा कम/ज्यादा/नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

- (क) वादी अंकुर कुमार पुत्र स्व. श्री रमेश कुमार जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (2/3 हिस्सा) एवं प्रतिवादी संख्या 2 शिवानी कडवा पुत्री स्व. श्री रमेश कुमार पत्नी श्री विक्रम गोदारा जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया हाल आबाद मिठनपुर तहसील ऐलनाबाद सिरसा हरियाणा (1/3 हिस्सा) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-
चक 2 एल.एल.डब्ल्यु. के खाता सं. 143/7 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
- | प.नं. | मु.नं. | कि.नं. |
|---------|--------|---|
| 155/216 | 29 | 6ता9/0.253 है.प्र. |
| 156/216 | 28 | 2/0.253 है., 5/1/0.013 है., 5/3/0.025 है.,
6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 7ता10/0.253 है.प्र. नहरी 2.518 है.,
गै.मु. रास्ता 0.050 है., कुल 2.568 है. मय गै.मु. कृषि भूमि |
- चक 4 एम.एम.के. के खाता सं. 251/21 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76
- | प.नं. | मु.नं. | कि.नं. |
|---------|--------|--|
| 160/204 | 34 | 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,
25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है. |
| 160/205 | 47 | 5,6/0.253 है.प्र., 11/1/0.025 है., 12/1/0.003 है.,
15,16/0.253 है.प्र., 19/1/0.025 है.,
22/1/0.025 है., 23/1/0.003 है.,
24/1/0.025 है., 25/1/0.013 है.(किला की पूर्वी दिशा में) |
| 160/206 | 54 | 2/1/0.051 है., 3/1/0.051 है. |
| 161/205 | 48 | 1,10,11,19,20,21,22/0.253 है.प्र. |
| 162/202 | 12 | 2/1/0.152 है., 2/2/0.025 है.,
3/1/0.076 है.(किला की पश्चिमी दिशा में),
3/2/0.025 है., 4/2/0.025 है., 4/3/0.026 है.,
8/0.190 है.(किला की पश्चिमी दिशा में),
12/1/0.025 है., 12/2/0.228 है.,
9,13,18,19,22,23/0.253 है.प्र. |
| 162/203 | 29 | 2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है., 3/1/0.228 है.,
3/2/0.025 है.
कुल 6.306 है. मय गै.मु. कृषि भूमि |

महाय. कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(ख) प्रतिवादीया सं. 1 संतो देवी पत्नी स्व. श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-
चक 4 एम.एम.के. के खाता सं. 251/21 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
160/205	47	25/1/0.160 है.(किला की पश्चिमी दिशा में)
162/202	12	3/1/0.063 है.(किला की पूर्वी दिशा में), 8/0.063 है.(किला की पूर्वी दिशा में), कुल 0.286 है. कृषि भूमि



नाथन वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन किया जावे।

निज नल मुब्लिक निल वावत् निल खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तक अदा करें।

वसुल मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 2.2.2020 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
महायुक्त कलक्टर संगरिया
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया